न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 01/अपील/2024 (GCMS No. 2024/2)	09.01.2024	05.02.2025

आत्माराम आ. मोहनलाल जाति मीणा,
निवासी ग्राम लाडपुर, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

1. रतिराम आ.कैलाशचन्द्र जाति मीणा, निवासी लाडपुर,तहसील तालेडा (**मृतक**) जरिये कायम मुकामान –
   1/1 अनिल मीणा पुत्र स्व.रतिराम मीणा निवासी लाडपुर
   1/2 नैना कुमारी पुत्री स्व.रतिराम मीणा निवासी लाडपुर
   1/3 मनोज कुमारी पुत्री स्व.रतिराम मीणा निवासी लाडपुर
   1/4 कुंताबाई पत्नी स्व.रतिराम मीणा निवासी लाडपुर तहसील तालेडा
2. चन्दुबाई पत्नी स्व.मोहनलाल जाति मीणा नि0 लाडपुर तह.तालेडा
3. कनिज बाई पुत्री स्व.मोहनलाल जाति मीणा नि0 लाडपुर तह.तालेडा
4. कुसुमबाई पत्नी स्व.मोहनलाल जाति मीणा नि0 लाडपुर तह.तालेडा
5. तहसीलदार तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री श्यामलाल नागर, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं.1/1 लगायत 4 की ओर से श्री कन्हैयालाल मीणा एड0
रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1571 दिनांक 04.03.2020 ग्राम लाडपुर से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार मोहन पुत्र जुवारा मीणा के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 1/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/2 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं.1 का देहान्त हो जाने पर अपीलांट की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. स्वीकार किया जाकर उसके वारिसान को अपील में कायम मुकाम रेस्पो.सं.1/1 लगायत 1/4 बनाया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तक्र प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 497 रकबा 0.0809 है., ख.सं. 510 रका 0.971 है., ख.सं. 900 रकबा 3.0279 है., ख.सं. 919 रकबा 0.6637 है., ख.सं. 972 रकबा 0.1214 है. कुल किता 5 कुल रकबा 3.9901 हैक्टेयर वाके ग्राम लाडपुर, तहसील तालेडा, जिला बून्दी में स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में अपीलांट व रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 के नाम गलत रूप से अंकित है। इससे पहले उक्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पो.सं. 3, 4 के पिता एवं रेस्पो.सं. 2 के पति मोहनलाल आ.जुवारा उर्फ जुवारीलाल कोम मीणा निवासी लाडपुर के खातेदारी कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही थी। पक्षकार अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने से इन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अपीलांट के पिता मोहनलाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि खातेदार मोहनलाल के एक मात्र पुत्र अपीलांट के कब्जे काश्त में बहैसियत मालिक चली आ रही है। इसके बावजूद खातेदार मोहनलाल की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरकरण सं.1571 दिनांक 04.03.2020 से रेस्पो.सं. 5 द्वारा कानून के विपरीत बिना समुचित जांच पडताल के एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना गुपचुप तरीके से अपीलांट सहित रेस्पो.सं.1 लगायत 4 के नाम बतौर वारिसान के रूप में दर्ज कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के सर्वदा विपरीत है। अपीलांट खातेदार मोहनलाल का एकमात्र पुत्र है, रेस्पो. सं. 2 पत्नी एवं रेस्पो.सं. 3 व 4 खातेदार मोहनलाल की पुत्रिया है। रेस्पो.सं.1 रतिराम मोहनलाल का पुत्र नहीं है, फिर भी रेस्पो.सं.1 द्वारा भूमि हडपने के ध्येय से अपने आपको मोहनलाल का पुत्र बताकर गलत तरीके से मिलीभगत करके उक्त विवादित फोती नामान्तरकरण खुलवा लिया।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि मोहनलाल व कैलाशचन्द पि0 जुवारीलाल कौम मीणा की सहखातेदारी भूमि बाबत अपीलांट आत्माराम व रेस्पो.सं.1 रतिराम द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में वाद सं. 185/86 पेश किया, जो दिनांक 09.11.1987 को डिक्री हुआ जिसमें कैलाशचन्द के हिस्से की भूमि पर उसके पुत्र रतिराम ने हिस्सा प्राप्त किया तथा मोहनलाल के हिस्से की भूमि पर उसके पुत्र आत्माराम ने हिस्सा प्राप्त किया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व न तो रेस्पो.सं.1 रतिराम की वल्दियत के संबंध में कोई जांच नहीं की और न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया। इसलिए उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है। अपीलांट को अपील विषयक नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी, किन्तु रेस्पो.सं.1 द्वारा भूमि के खरीददार को उक्त भूमि दिखाने मौके पर आया, तो अपीलांट को रेस्पो.सं.1 द्वारा राजस्व रिकार्ड में उसका 1/5 हिस्सा नियत होने की जानकारी दी गई। हल्का पटवारी से मिलने पर दिनांक 12.12.23 को अपीलांट को इस संबंध में जानकारी हुई। तहसील कार्यालय में नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 15.12.23 को नकल प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी होते ही अपील मध्य अवधि पेश की गई है। फिर भी मियाद कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1/1 लगायत 4 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण खोला गया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 04.03.2020 की दिनांक 12.12.2023 को जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 04.01.2024 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम लाडपुर में विस्थित आराजी किता 5 कुल रकबा 3.9901 हैक्टेयर भूमि का खातेदार मोहन पुत्र जुवारा जाति मीणा था। खातेदार मोहन के फोत हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण आत्माराम पुत्र मोहन, कनिजाबाई, कुसुमबाई, चन्दुबाई पुत्रियां मोहन, रतिराम पुत्र मोहन हिस्सा 1/5 कौम मीणा के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि खातेदार मोहन का पुत्र नहीं होने के बावजूद भी रेस्पो.सं.1 रतिराम द्वारा अपने पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया है, उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 185/दावा/86 बउनवान आत्माराम, रतिराम बनाम मोहनलाल, केलाशचन्द वगै. में पारित निर्णय दिनांक 09.11.97 की छायाप्रति के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त वाद के वादी आत्माराम पुत्र मोहनलाल मीणा एवं रतिराम पुत्र कैलाशचन्द मीणा निवासी लाडपुर थे तथा प्रतिवादी मोहनलाल पुत्र जुहारीलाल मीणा एवं कैलाशचन्द मीणा पुत्र जुहारीलाल मीणा निवासी लाडपुर वगै. थे। उक्त वाद राजीनामा के आधार पर निर्णीत कर डिक्री किया गया है। इससे प्रमाणित होता है कि रेस्पो.सं. 1 रतिराम के पिता का नाम कैलाशचन्द है न कि मोहनलाल। अभिभाषक रेस्पोडेंटस की ओर से ऐसा कोई कथन नहीं किया और न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया, जिससे उक्त रतिराम खातेदार मोहनलाल का पुत्र साबित हो सके।

यहां उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी खातेदार के फोत हो जाने पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों की समुचित जांच की जाकर वारिसान का सजरा तैयार कर विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का प्रावधान है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में खातेदार मोहनलाल के फोत हो जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके वारिसान की समुचित जांच किये बिना पुत्र, पुत्रियों एवं पत्नी के साथ ही अन्य व्यक्ति कैलाशचन्द के पुत्र रतिराम के नाम भी विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1571 दिनांक 04.03.2020 ग्राम लाडपुर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार तालेडा को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि वे वादग्रस्त भूमि के खातेदार मोहन पुत्र जुवारा कौम मीणा के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दस्तावेज/साक्ष्य आदि रेकार्ड पर लिये जाकर विधिक प्रावधानों की पालना में आदेश पारित कर नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी